

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.-10(11) वरि/लेखा/जलेस/2014-15

8837-43

दिनांक : 22/5/2015

कार्यालय आदेश संख्या: 14/2015


विषय-सी.ए.जी एवं पी.ए.सी प्रतिवेदनों की अनुपालना में वाहनों के विरुद्ध बकाया कर को अदेर सूचित करने के संबंध में।

प्रसंग- कार्यालय आदेश क्रमांक 33/2014 दि. 27.10.2014

अधीनस्थ प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों के द्वारा सी.ए.जी. एवं पी.ए.सी. प्रतिवेदनों की अनुपालनाओं में वाहनों के विरुद्ध बकाया कर राशि को अदेय होना सूचित किया जाता है जबकि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना में ही अदेय राशि यदि कोई हो तो पूर्ण प्रमाणके साथ सूचित की जानी चाहिए। आक्षेप को सी.ए.जी. एवं पी.ए.सी. प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त अनुपालना में आक्षेपित राशि में को अदेय दर्शाये जाने को जन लेखा समिति के द्वारा गंभीरता से लिया गया है एवं संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की सिफारिश की गई है।


प्रांसगिक आदेश की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी कारण से वाहन की कर देयता समाप्त होने पर कर कारणों सहित कर खातों एवं पंजीयन लेखों में प्रविष्टि की जावे। वाहनों के विरुद्ध आक्षेपित राशि अदेय होने पर अंकेक्षण ज्ञापन का प्रत्युत्तर अंकेक्षण के दौरान ही दिया जाकर आक्षेप गठन को रोका जावे एवं आक्षेप गठित होने की स्थिति में प्रथम अनुपालना में पूर्ण तथ्य प्रस्तुत कर आक्षेपों को निरस्त कराया जावे।

सी.ए.जी., पी.ए.सी. प्रतिवेदनों में आक्षेप में सम्मिलित कर लिये जाने के उपरान्त आरोपित राशि को अदेय सूचित किये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त अति. परिवहन आयुक्त।
3. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. मुख्य लेखाधिकारी, वरि. लेखाधिकारी, लेखाधिकारी (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।


(सुरेश सिंघल)
वित्तीय सलाहकार